

R. श्री. ५
10/4/2015

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 7(10)प्राशि/आयो/2014

जयपुर, दिनांक: 09/04/2015

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

70
राम 1867

विषय:- बी.एस.टी.सी. कोर्स के साथ स्वयंपाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक शिविरा/प्रारं/शि.प्र./4467/13/35 दिनांक 27.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बी.एस.टी.सी. कोर्स के साथ स्वयंपाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के सम्बन्ध में आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि अलग-अलग विश्वविद्यालयों/संस्थानों (नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में) से अलग-अलग विषयों में नियमित एवं स्वयंपाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां/डिप्लोना मान्य हैं।

शून्य अंशिक के तहत प्रोवेट
सहायक प्रिंसिपल

Duttu
सहायक निदेशक
शिक्षक प्रशिक्षण
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान-बीकानेर

भवदीय,

9/4/15

(बी. आर. चौधरी)
उप शासन सचिव